



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 14 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 04 जून, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के लोक निर्माण खण्ड अस्कोट के अन्तर्गत एस0सी0पी0 चयनित ग्राम पंचायत द्वालीसेरा में चरमा नदी पर घुरड़ी नारंगी व अवलतड़ी के मध्य झूला पुल निर्माण के संबंध में" श्री हरी राम पुत्र श्री जया राम एवं अन्य निवासीगण, ग्राम नारंगी, पो0ओ0 घिघरानी, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
9. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ग")
10. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
11. वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
12. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।
(30 मिनट)
13. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

14. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।
(30 मिनट)
15. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
16. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
17. विधान सभा क्षेत्र कपकोट के शामा क्षेत्र के जनजातीय लोगों को पशुपालन विभाग द्वारा ऊन उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में श्री ललित फर्स्टाण, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 01 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, पशुपालन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 04 जून, 2012

(डी०पी०गैरोला)
प्रमुख सचिव।